

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत
17 मैनुअलों का संग्रह

भाग – ।।।

मैनुअल संख्या – 6 से 17

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल संग्रह की सामग्री

भाग	मैनुअल संख्या	विवरण
भाग— 111 1–51	मैनुअल संख्या 6 से 17	
	मैनुअल संख्या 6	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण
	मैनुअल संख्या 7	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं
	मैनुअल संख्या 8	ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भाग रूप या इस बारें में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और उन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी
	मैनुअल संख्या 9	अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
	मैनुअल संख्या 10	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथाउपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है
	मैनुअल संख्या 11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संविताणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट
	मैनुअल संख्या 12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है
	मैनुअल संख्या 13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां
	मैनुअल संख्या 14	किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों
	मैनुअल संख्या 15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनके अंतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं
	मैनुअल संख्या 16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां
	मैनुअल संख्या 17	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये

अनुक्रमणिका

क्र०	मैनुअल संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	मैनुअल संख्या 6	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण	1–4
2	मैनुअल संख्या 7	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं	5–13
3	मैनुअल संख्या 8	ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भाग रूप या इस बारें में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और उन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी	14–16
4	मैनुअल संख्या 9	अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	17–22
5	मैनुअल संख्या 10	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथाउपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है	23–24
6	मैनुअल संख्या 11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संविताणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	25–28
7	मैनुअल संख्या 12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है	29
8	मैनुअल संख्या 13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां	30
9	मैनुअल संख्या 14	किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसके उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों	31
10	मैनुअल संख्या 15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनके अंतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं	32
11	मैनुअल संख्या 16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां	33–40
12	मैनुअल संख्या 17	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये	41

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत
17 मैनुअलों का संग्रह

मैनुअल संख्या – 6

ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड सरकार

अध्याय – ४:

<p>ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियन्त्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण</p> <p>आंगनबाड़ी केन्द्र – ७ पंजिकाओं का विवरण, मासिक प्रगति रिपोर्ट</p> <p>बाल विकास परियोजना कार्यालय/जिला कार्यक्रम कार्यालय/निदेशालय – पंजिकायें पत्र प्राप्ति</p> <p>एवं प्रेषण, एस०पी०एस०, स्टॉक पंजिका, चरित्र पंजिका, उपस्थिति, अवकाश, आदेश, निरीक्षण, कैश बुक, कोषागार, चैक बुक, बैंक ड्राफ्ट, ११–सी०, कन्टीजेन्सी, वेतन, बिल वाउचर पत्रावली, व्यक्तिगत पत्रावलियां, सेवा पुस्तिकायें, जी०पी०एफ० पंजिकायें, गार्ड फाईल, टेलिफोन पंजिका, वाहन लौग बुक, कार्यालय उपकरण पत्रावली, मासिक प्रगति रिपोर्ट/त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट/वार्षिक प्रगति रिपोर्ट आदि।</p>

क्र. सं.	अनुभाग	दस्तावेज का नाम एवं परिचय	गोपनीय अथवा जनता द्वारा जांच के लिए उपलब्ध	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया	धारक/नियन्त्रणाधीन
1.	अधिष्ठान/लेखा	1. उपस्थिति पंजिका	जांच के लिए उपलब्ध	आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क अदा करने पर	जिला कार्यक्रम अधिकारी/परियोजना ओं में बाल विकास परियोजना अधिकारी
		2. स्थापना पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	वरिष्ठ सहायक/क० सहायक
		3. आकस्मिक अवकाश स्वीकृति पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
		4. कार्यालय आदेश पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
		5. स्थापना प्रकरणों संबंधी गार्ड फाइलें	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—

		6. निदेशालय जनपद/ परियोजना स्तर पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
		7. निदेशालय जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों की चरित्र पंजिका पत्रावलियां	गोपनीय	—	—तदैव—
		8. ज्येष्ठता सूची पत्रावलियां	जॉच के लिए उपलब्ध	—तदैव—	—तदैव—
		9. जाब चार्ट पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
		10. शासन, निदेशालय द्वारा किये गये निरीक्षणों के परिपालन संबंधी पत्रावलियां	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
		11. पत्रावलियों की पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	वरिष्ठ स0 / कनिष्ठ सहा0
		12. पंजिकाओं की पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
		13. वीडिंग पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
		14. विभिन्न मासिक/ त्रैमासिक एवं वार्षिक सूचनाओं के प्रेषण तथा अन्य विविध प्रकार की कार्यवाहियों से संबंधित पत्रावलियां	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
		15. जिला सैक्टर/ राज्य सैक्टर / केन्द्र पोषित/ वाह्य सहायतित योजनाओं की मासिक प्रगति प्रतिवेदन	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
		16. कार्यालय से प्रेषित किये जाने वाले पत्रों की पेषण पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
		17. डाक टिकट पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—

		18. स्थानीय डाक वितरण पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
		19. पटल सहायकों को प्राप्त कराये जानेवाले पत्रों की पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
		20. डाक चालानों की पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
		21. अधिष्ठान व्यय हेतु बजट आंबटन पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	वरिष्ठ स0/कनिष्ठ सहा0
		22. व्याधिक्य एवं बचत संबंधी पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
		23. अधिष्ठान व्यय विवरण पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
		24. विभागीय प्राप्तियों की पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
		25. यात्रा—भत्ता बिल पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
		26. आकस्मिक व्यय पंजिकायें	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
		27. अग्रिम आहरण/भुगतान पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
		28. कोषागार बिल पंजिका प्रपत्र—11 सी	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
		29. कोषागार में बिल प्रस्तुत करने की पंजिका प्रपत्र—1	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
		30. वेतन बिल पंजिकायें	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
		31. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जी0पी0एफ0 लेजर एवं ब्राउशीट	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
		32. समूह—घ के कार्मिकों को जी0पी0एफ0 लेखा आंबटन एवं लेखा पर्ची निर्गत करने संबंधी पत्रावली	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—

		33. महालेखाकार तथा विभागीय लेखादल द्वारा किये गये आडिट एवं लम्बित प्रस्तरों के निस्तारण संबंधी पत्रावलियां	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
		34. रोकड़वही	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
		35. कैशचेस्ट पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
		36. चैक / ड्राफ्ट पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
		37. स्थाई अग्रिम पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
		38. जनरल स्टाक पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—
		39. लेखन सामग्री स्टाक पंजिका	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत

17 मैनुअलों का संग्रह

मैनुअल संख्या – 7

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड सरकार

अध्याय – सात

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं

- आई0सी0डी0एस0 का सिटीजन चार्टर बनाया गया है, जिसके लिये विभिन्न वर्गों से परामर्श किया गया है।
- महिला नीति का कार्य पूरा किया जा चुका है।
- विभागीय वेबसाइट में जन सुझावों की व्यवस्था की गयी है।
- प्रदेश की बाल नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है।



CITIZEN'S CHARTER

“नागरिक घोषणा—पत्र”

निदेशालय, सकेकित बाल विकास सेवाएं, उत्तराखण्ड

25 शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून।

फोन—0135—2675260

फैक्स—0135—2675270

प्राककथन

किसी भी संगठन या संस्था के अनवरत विकास एवं पोषण के लिए संगठन द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के प्रति उसके लाभार्थियों की संतुष्टि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। नागरिक अधिकार—पत्र संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को उपभोक्ता या लाभार्थी की दृष्टि से देखने का प्रयास है, अर्थात् हम किस तरह सुनिश्चित करेंगे जिससे कि हमारे लाभार्थियों में उनके प्रतिविष्बास पैदा होने के साथ ही साथ हमें उनका सक्रिय सकारात्मक सहयोग प्राप्त हो सके ताकि हम अपने लक्ष्यों की शत् प्रतिशत् प्राप्ति कर सकें।

समेकित बाल विकास सेवाए विश्व का सबसे वृहद समुदाय आधारित कल्याणकारी कार्यक्रम है। वर्तमान में उत्तराखण्ड में 99 बाल विकास परियोजनाओं (95 ग्रामीण व 4 शहरी) में 6658 आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से हम 1978–79 से निरन्तर इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। हम ग्राम स्तर से सीधे जुड़े हैं। इसलिए यह नितान्त आवश्यक है कि हमें सक्रिय जन सहयोग मिले। इसके लिए आवश्यक है कि हमारी सेवाओं में पारदर्शिता के साथ—साथ हमारे लाभार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित हो तथा उन्हें हमारी सेवाओं की गुणवत्ता का स्तर भी पता चले। इसलिए यह आवश्यक है कि नागरिक घोषणा—पत्र के माध्यम से विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं की विस्तृत जानकारी लाभार्थियों को दी जाये। हमारे संगठन का प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी इस सिटीजन चार्टर का पालन अपने कर्तव्यों के साथ निर्वाहन में करेगा। हमें पूर्ण आशा है कि नागरिकों का घोषणा—पत्र नामक यह दस्तावेज हमारे प्रत्येक लाभार्थी के लिए लाभदायक होने के साथ ही हमारी सेवाओं की सफलता में सहायक होगा।

यह सिटीजन चार्टर अपने प्रारम्भिक दौर में है। एक वर्ष पश्चात् इसकी समीक्षा की जायेगी। अतः प्रबुद्ध जनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा नागरिकों से रचनात्मक सुझाव सादर आमंत्रित है जिससे इसे और उपयोगी बनाया जा सके।

राधा रत्नौड़ी

सचिव

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग

उत्तराखण्ड शासन।

दिनांक : 12 अगस्त 2005

समेकित बाल विकास सेवाएं, उत्तराखण्ड

हमारी दृष्टि

“हम अपनी सेवाओं के माध्यम से राज्य के भविश्य निर्माण में निवेश करते हैं।”

हमारा मिशन

“गर्भवती, धात्री, बच्चा प्यारा,
स्वस्थ किशोरी उद्देश्य हमारा।”

हम उपनी छः सेवाओं के माध्यम से छः वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, छः माह तक दूध पिलाने वाली माताओं तथा किशोरी बालिकाओं के शारीरिक मानसिक व सामाजिक विकास में सक्रिय सहयोग प्रदान करते हुए एक स्वस्थ व सशक्त समाज के निर्माण में योगदान करते हैं।

हमारा उद्देश्य

हमारे निम्नलिखित पाँच उद्देश्य हैं:-

1. 06 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थिति को सुधारना।
2. बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा समाजिक विकास की देखभाल करना।
3. मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और बच्चों द्वारा बीच में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करना।
4. बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में प्राभावकारी तालमेल कायम करना।
5. उचित स्वास्थ्य और पोषण सम्बन्धी शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए माताओं की क्षमता बढ़ाना।

हमारी सेवाएं

अपने मिशन की प्राप्ति हेतु हम निम्नलिखित सेवाएं करते हैं:-

क्र. सं.	सेवाएं	लाभार्थी वर्ग	सेवाओं को प्रदान करने का समय	सेवा प्रदान करने की जिम्मेदारी	सहयोग
1	2	3	4	5	6

1	पूरक पोषाहार	1. गर्भवती महिलाएं 2. छ: माह तक के बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं। 3. 06 माह से 06 वर्ष तक बच्चे। 4. बीपी०एल० परिवार की तीन किशोरियां।	प्रत्येक शनिवार को टेक होम राशन के रूप में	ग्राम स्तर पर कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	ग्राम की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति तथा नगरीय क्षेत्रों में उक्त के समकक्ष समिति एवं चयनित किशोरियां
2.	स्कूल पूर्व शिक्षा	03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को	प्रत्येक दिन, रविवार एवं राजकीय अवकाशों को छोड़कर	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	ग्राम स्तर की शिक्षा समिति तथा नगरीय क्षेत्रों में उक्त के समकक्ष समिति
3.	टीकाकरण	1. गर्भवती महिलाएं 2. 03 वर्ष सेकम आयु के बच्चे	प्रत्येक बुद्धवार तथा आउटरीच के अन्तर्गत शनिवार को	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं ए० एन० एम०	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति तथा नगरीय क्षेत्रों में उक्त के समकक्ष समिति
4.	स्वास्थ्य जॉच	1. 06 वर्ष तक की आयु के बच्चे 2. गर्भवती महिलाएं 3. दूध पिलाने वाली माताएं 4. किशोरी बालिकाएं	प्रत्येक बुद्धवार तथा आउटरीच के अन्तर्गत शनिवार को	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं ए० एन० एम०	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति तथा नगरीय क्षेत्रों में उक्त के समकक्ष समिति एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी तथा स्वास्थ्य पर्यवेक्षक
5.	स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा	15 से 45 आयु वर्ग की महिलाएं	प्रत्येक शनिवार पोषाहार वितरण के दिन	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मुख्य सेविका एवं ए० एन० एम०	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति तथा नगरीय क्षेत्रों में उक्त के समकक्ष समिति एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी, सी०डी०पी०ओ० एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक

6.	संदर्भ सेवाएं	1. जोखिम समूह की (हायरिस्क) गर्भवती महिलाएं 2. एनिमिक किशोरियां 3. 06 वर्ष तक की आयु के गम्भीर कुपोषित बच्चे	आवश्यकतानुसार	आंगनवाड़ी स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति तथा नगरीय क्षेत्रों में उक्त के समकक्ष समिति, प्रभारी चिकित्साधिकारी, सी०डी०पी०ओ० एवं मुख्य सेविका, ए०एन०एम० स्वास्थ्य पर्यवेक्षक
----	---------------	--	---------------	--	---

लाभार्थी चयन

हम 1000 की जनसंख्या पर 103 लाभार्थी मानक रखते हैं। लाभार्थी चयन हेतु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवार एवं गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के सदस्यों को वरीयता दी जाती है। चयनित लाभार्थी इस प्रकार होंगे:—

- 1— गर्भवती महिलाः— 10
- 2— छः माह तक के बच्चों को दूध पिलाने वाली माताः— 10
- 3— छः माह से तीन वर्ष तक के बच्चे:— 40
- 4— तीन वर्ष से छः वर्ष तक के बच्चे:— 40
- 5— किशोरी लड़कियाः— प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र पर तीन।

हमारे प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र पर चयनित लाभार्थियों की वर्गवार सूची आवश्यक रूप से चर्चा रहेगी, ताकि जन समुदाय को इस बारे में कोई भ्रान्ति न हो। इन चयनित लाभार्थियों की सूची कार्यकर्ता ग्राम पंचायत की बैठक में भी रखेगी जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

सेवा सम्बन्धी वक्तव्य

हमारी सेवाओं से समुदाय को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं:—

1— हमारे द्वारा दिया जाने वाला पूरक पोषाहार जो वर्तमान में सामान्य अवस्था के बच्चे के लिए 80 ग्राम प्रतिदिन की दर से दिया जाता है, द्वारा 300 किलो कैलारी तथा 10—12 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है। जबकि गर्भवती, धात्री, किशोरी बालिकाओं तथा अतिकुपोषित बच्चों को दिया जाने वाला 160 ग्राम प्रतिदिन पोषाहार 500 किलो कैलारी तथा 20—05 ग्राम प्रोटीन की पूर्ति करता है। यह पूरक पोषाहार माह में 25 दिन को आधार मानकर प्रत्येक शनिवार को टेक होम राशन (घर ले जाने हेतु) के रूप में दिया जाता है।

2— हमारे स्कूल पूर्व शिक्षा कार्यक्रम में 03 से 06 आयु वर्ष के बच्चों में स्कूल जाने की आदतों का विकास, रंगों, आकृतियों, प्रकृति के ज्ञान के साथ साथ ही संस्कारों के विकास पर जोर दिया जाता है। स्कूल पूर्व शिक्षा में हमारा अपना एक पाठ्यक्रम है जिसके आधार पर सर्दियों में प्रातः 9 बजे से अपराह्न 1 बजे तक तथा गर्मियों में प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक हम आंगनवाड़ी केन्द्रों पर विविध गतिविधियां संचालित करते हैं।

3— टीकाकरण व स्वास्थ्य जॉच का आयेजन हम स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से प्रत्येक बुधवार को ए0 एन0 एम0 के उपकेन्द्र तथा प्रत्येक शनिवार को आउटरीच (पहुँच विहीन क्षेत्र) केन्द्रों पर करते हैं। इसमें हम गर्भवती महिलाओं को टी0 टी0 के दो टीकों के साथ ही बच्चों के लिए जानलेवा छ: बीमारियों (टी0 बी0, पोलियो, डिझीरिया, टिटनेस, काली खाँसी तथा खसरा) से बचाव के लिए टीके लगवाते हैं। हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं तथा कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की जॉच भी उक्त दिवसों पर की जाती है।

4— स्वास्थ्य व पोषण शिक्षा के अन्तर्गत हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता साप्ताहिक पोषाहार वितरण के दिन 15—45 आयु वर्ग की महिलाओं का सामान्य स्वास्थ्य व पोषण के बारे में जानकारी देती है। प्रत्येक माह के लिए हमारे विषय निर्धारित हैं जिनके अनुसार यह शिक्षा प्रदान की जाती है।

5— सन्दर्भ सेवा के अन्तर्गत हम गम्भीर रूप से बीमार तथा कुपोषित बच्चों के अभिभावकों को परामर्श देकर उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल पर इलाज हेतु प्रोत्साहित करते हैं। इस हेतु हमारी कार्यकर्ता के पास अलग से पंजिका तथा सन्दर्भ पर्चियों की व्यवस्था है। हाईरिस्क गर्भवती माताओं को सुरक्षित प्रसव हेतु स्वास्थ्य केन्द्रों तक भेजना भी इस सेवा में शामिल है, परन्तु इस हेतु कार्यकर्ता को अलग से विभाग द्वारा कोई धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जाती है।

नागरिकों/लाभार्थियों के अधिकारः—

हमारा विभाग मूलतः सेवा आधारित विभाग है तथा अपने लाभार्थियों की पूर्ण सन्तुष्टि हमारा उद्देश्य है। इसलिए हमारी सेवाओं के प्रति लाभार्थियों के क्या अधिकार हैं, इस स्पष्ट करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं:—

1— सूचना प्राप्ति के अधिकार को सम्मान देते हुए हम राज्य स्तर से लेकर आंगनवाड़ी केन्द्र के स्तर तक प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता बरतेंगे। जनपद में संचालित परियोजनाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों की पूर्ण जानकारी वाले होर्डिंग सार्वजनिक स्थानों पर लगाये जाएंगे तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी व बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में विभाग की सेवाओं तथा स्थापना से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाएं बुकलेट के रूप में उपलब्ध रहेगी जो मांगे जाने पर उपलब्ध कराई जायेगी।

2— कार्यकर्ता या सहायिका का पद यदि आंगनवाड़ी केन्द्र पर रिक्त है तो इसका स्पष्ट उल्लेख संबन्धित बाल विकास परियोजना कार्यालय, विकास खण्ड कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नोटिस बोर्ड में स्पष्ट शब्दों में उपलब्ध रहेगा।

3— प्रत्येक परियोजना कार्यालय में इस आशय की सूचना बोर्ड पर अंकित करने की व्यवस्था करेंगे कि किस स्थान पर किस तिथि को पोषाहार प्राप्त हुआ तथा केन्द्रों में उसके वितरण की तिथि क्या रही। पोषाहार की उत्पादन तिथि एवं कालातीत होने की तिथि भी इस पर दर्ज की जायेगी।

4— केन्द्र पर पोषाहार प्राप्ति के बाद कार्यकर्ता दो दिन के अन्दर ग्राम पंचायत को भी इसकी सूचना अनिवार्य रूप से देगी कि सम्बन्धित माह के लिए उसे कुल कितना किलोग्राम पोषाहार प्राप्त हुआ है। लाभार्थी या उनके अभिभावक कोई जिज्ञासा होने पर पंजिकाओं का अवलोकन कर सकेंगे।

5— विभाग द्वारा प्रदान की जा रही किसी भी सेवा के सम्बन्ध में मांगने पर लाभार्थियों/नागरिकों को अनिवार्य रूप से सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

6— लिखित शिकायत किये जाने की स्थिति में शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

7— आंगवाड़ी कार्यकर्ता, मुख्य सेविका, बाल विकास परियोजना अधिकरी तथा जिला कार्यक्रम अधिकरी के कर्तव्य एवं अधिकार जानने का अधिकर नागरिकों को होगा।

8— हमारी सेवाओं को प्राप्त करने में लाभार्थी को स्वतंत्रता होगी।

9— विभाग के प्रति लाभार्थी द्वारा अपनी संवेदनशीलता से स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त करने एवं उस पर विचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी।

जनता से अपेक्षाएं:-

हमारी जनता से निम्नलिखित अपेक्षा हैं:-

1— सेवा के सुधार एवं विस्तार हेतु अपेक्षित सहयोग प्रदान करें।

2— सेवा में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें।

3— सेवा में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो जाने पर उसे हल करने हेतु अपना परामर्श एवं सहयोग प्रदान करें।

4— यदि कार्यकर्ता/सहायिका किसी कारण वश केन्द्र संचालित करने में असमर्थ हो रही है, तो केन्द्र के संचालन में अपने स्तर से सहयोग प्रदान करें।

5— सेवाओं में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर अविलम्ब कार्यकर्ता/मुख्य सेविका / बाल विकास परियोजना अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकरी एवं निदेशक को सूचित करें।

शिकायतों के निपटारे की व्यवस्थाः-

हमारे विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की प्राप्ति में कोई कठिनाई आने पर, सेवाओं की गुणवत्ता के सम्बन्ध में सन्देह होने पर, सेवा प्रदाताओं के बारे में कोई शिकायत होने पर इसके निपटारे हेतु हमारी एक सुव्यवस्थित प्रणाली है। हमारे लाभार्थी/उपभोक्ता कोई शिकायत होने पर निम्नलिखित से सम्पर्क कर इसे दूर कर सकेंगे:-

1— ग्राम स्तर पर	सम्बन्धित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
2— क्षेत्र स्तर पर	क्षेत्रीय मुख्य सेविका
3— विकास खण्ड स्तर पर	बाल विकास परियोजना अधिकारी
4— जिला स्तर पर	जिला कार्यक्रम अधिकारी
5— राज्य स्तर पर	निदेशक, आई० सी० डी० एस० डी'—47, सेक्टर—4, डिफेंस कालोनी, देहरादून।

विभाग के प्रत्येक स्तर पर समस्त उच्चाधिकारियों के दूरभाष नम्बर की सूची कोड सहित अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपलब्ध/चर्चा रहेगी। मार्गे जाने पर तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

अतिरिक्त बचनबद्धता:-

विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में कोई व्यवधान आने पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आंगनवाड़ी केन्द्र स्तर पर इसकी सूचना एक सप्ताह पूर्व पहुँच जाये, उदाहरणार्थ— यदि पोषाहार की आपूर्ति में किसी माह व्यवधान आता है तो इसकी सूचना एक सप्ताह पूर्व ही कार्यकर्ता को प्रदान कर दी जाएगी, जिससे वह अपने ग्राम पंचायत/वार्ड एवं लाभार्थियों को सूचित कर सके।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत

17 मैनुअलों का संग्रह

मैनुअल संख्या – 8

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भाग रूप या इस बारें में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और उन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड सरकार

अध्याय – आठ

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भाग रूप या इस बारें में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और उन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी

- प्रादेशिक बाल विकास बोर्ड के अन्तर्गत जनप्रतिनिधियों को सदस्य नामित किया गया है। इसी प्रकार उत्तराखण्ड महिला आयोग में भी जनप्रतिनिधियों को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य नामित किया गया है।
- विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास सोसाईटी गठित है
- आई०सी०डी०एस० तृतीय के अन्तर्गत नवाचार हेतु ब्लाक स्तरीय सलाहकार समिति में जनप्रतिनिधि सदस्य हैं।
- महिला कोच व बाल कोष बनाये गये हैं।

उत्तरांचल शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
संख्या 80/44—सव०/आई०सी०डी०एस०/2002
देहरादून : दिनांक 27 जून 2002

कार्यालय ज्ञान

श्री राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल नियमावली संख्या 192/2002-03 के अधिनियम 21,1860 ई० के अधीन उक्त नियमावली में उल्लिखित नियमों/शर्तों के अधीन उत्तरांचल वूमेन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट सोसाईटी के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(आलोक कुमार जैन)
सचिव



सोसाइटी—रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र (अधिनियम संख्या 21,1860 के अधीन)

संख्या 192 2002–2003 एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उत्तरांचल वूमेन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट सोसाइटी, पता: के०/आ० डायरेक्टर, आई०सी०डी०एस० उत्तरांचल, देहरादून को आज उत्तरांचल में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 ई० के अधीन सम्यक् से रजिस्ट्रीकृत किया गया है। यह प्रमाणपत्र 17.5.2007 तक विधिमान्य होगा।

आज दिनांक 18 मई दो हजार 02 को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तरांचल

श्रीमती मनीषा पंवार, एग्जीक्यूटिव सेक्रेट्री

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत
17 मैनुअलों का संग्रह

मैनुअल संख्या – 9

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड सरकार

अध्याय—नौं

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

निदेशालय का दूरभाष एवं पता:

निदेशालय आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड
25—शास्त्रीनगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून
दूरभाष नं0 0135—2675260 / 80, फैक्स—2675270

पदनाम	अधिकारी/कर्मचारी का नाम
निदेशक	श्रीमती स्नेहलता अग्रवाल
मुख्य वित्त अधिकारी	श्री कविता नबियाल
कार्यक्रम अधिकारी	श्रीमती सुजाता
मुख्य सहायक	श्री नवीन चन्द्र पाण्डे
मुख्य सहायक	श्री मायाराम सेमवाल
प्रवर सहायक	श्री देवेन्द्र सिंह रावत
प्रवर सहायक	श्री मूर्तिराम खण्डूडी

अन्य कर्मचारी:

पदनाम	अधिकारी/कर्मचारी का नाम
प्रभारी स्थापना/आई0सी0डी0एस0 तृतीय	श्री विक्रम सिंह
प्रभारी उदिशा/अन्य प्रशिक्षण/प्रभारी किशोरी शक्ति योजना	श्री जियाश्याम
परामर्शदाता विश्व खाद्य कार्यक्रम	श्री दीपक पान्डे
पटल सहायक, बजट अनुभाग	श्री मायाराम सेमवाल/श्री देवेन्द्र रावत
पटल सहायक वाद	श्री नवीन चन्द्र पाण्डेय
प्रभारी सूचना सेवा प्रबन्धन/ए0 जी0	सुश्री बीना गिरी

जनपदीय अधिकारियों के दूरभाष एवं पता:

<u>क्र0 सं0</u>	<u>जनपद</u>	<u>कोड सं0</u>	<u>डी0पी0ओ0 दूरभाष नम्बर</u>	<u>जिला कार्यक्रम अधिकारी का नाम</u>	<u>जिला कार्यक्रम अधिकारी का पता</u>
1	देहरादून	95135	2524212	श्रीमती कामिनी गुप्ता	जिला कार्यक्रम कार्यालय, बाल विकास, नेशनल रोड, देहरादून
2	हरिद्वार	951334	239045	श्री सतीश कुमार सिंह	जिला समन्वयक बाल विकास कार्यालय, रोशनाबाद, विकास भवन, हरिद्वार
3	नरेन्द्रनगर (ठिहरी)	951378	227185	श्री धर्मवीर सिंह	जिला कार्यक्रम कार्यालय, बाल विकास, निकट वन निदेशालय, हास्पिटल रोड, नरेन्द्रनगर,, ठिहरी गढ़वाल
4	पौड़ी गढ़वाल	951368	223887	श्री मुकुल चौधरी	जिला कार्यक्रम कार्यालय, बाल विकास, पौड़ी गढ़वाल
5	चमोली	951372	252436	श्री उदय प्रताप सिंह	जिला समन्वयक बाल विकास कार्यालय गोपेश्वर, निकट पैट्रोल पम्प के पास, (चमोली)
6	रुद्रप्रयाग	951364	233606	श्री अवधेश पण्डित	जिला समन्वयक बाल विकास कार्यालय गुलाबराय, रुद्रप्रयाग
7	उत्तरकाशी	951374	222906	श्रीमती माया भटनागर	जिला कार्यक्रम कार्यालय, विकास भवन, उत्तरकाशी
8	नैनीताल	955942	231802	श्रीमती चम्पा उप्रेती	जिला कार्यक्रम कार्यालय, विकास भवन, भीमताल, नैनीताल
9	पिथौरागढ़	955964	227890	श्री मोहित चौधरी	जिला कार्यक्रम कार्यालय, बाल विकास, निकट वीरशिया स्कूल के सामने, पिथौरागढ़
10	अल्मोड़ा	955962	235796	श्री प्रकाश बृजवाल	जिला कार्यक्रम कार्यालय, बाल विकास, विकास भवन, अल्मोड़ा
11	बागेश्वर	955963	221515	श्री राजेन्द्र कुमार	जिला समन्वयक बाल विकास कार्यालय निकट फायर बिग्रेड स्टेशन के पास, बागेश्वर
12	उधमसिंहनगर	955944	244956	श्री अखिलेष मिश्रा	जिला समन्वयक बाल विकास कार्यालय, विकास भवन, रुद्रपुर
13	चम्पावत	955965	230942	श्रीमती चन्द्रा खड़ायत	जिला समन्वयक बाल विकास कार्यालय, मादली तल्ली, छतारपुर, चम्पावत

बाल विकास परियोजनाओं का विवरण:

बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों का विवरण

क्रं	जनपद का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का प्रकार	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र	स्वीकृत मिनी आंबा० केन्द्र
1	देहरादून	चकराता	जनजातीय	1979	98	10
		कालसी	जनजातीय	1983	96	9
		सहसपुर	ग्रामीण	1984	162	7
		देहरादून शहर	शहरी	1989	108	0
		विकासनगर	ग्रामीण	1991	103	2
		डोईवाला	ग्रामीण	2002	178	12
		रायपुर	ग्रामीण	2002	139	4
2	हरिद्वार	रुड़की	ग्रामीण	1996	415	9
		बहादराबाद	ग्रामीण	1996	461	13
		भगवानपुर	ग्रामीण	1990	348	8
		नारसन	ग्रामीण	1990	332	10
		लक्सर	ग्रामीण	2002	263	9
		खानपुर	ग्रामीण	2002	64	14
		हरिद्वार शहर	शहरी	2003	99	0
3	चमाली	जोशीमठ	ग्रामीण	1983	100	10
		थराली	ग्रामीण	1989	50	27
		दशोली	ग्रामीण	1991	46	27
		नारायणबगड़	ग्रामीण	1991	64	20
		कर्णप्रयाग	ग्रामीण	2002	36	50
		घाट	ग्रामीण	2002	40	37
		देवाल	ग्रामीण	2002	35	11
		नागपुर पोखरा	ग्रामीण	2002	49	22
		गैरसैण	ग्रामीण	2002	72	71
4	पौड़ी गढ़वाल	पौड़ी	ग्रामीण	1989	52	10
		कल्जीखाल	ग्रामीण	1991	60	21

		दुगडा	ग्रामीण	1983	129	0
		खिर्सू	ग्रामीण	1991	42	3
		कोट	ग्रामीण	1991	51	15
		एकेश्वर	ग्रामीण	2002	41	42
		पोखरा	ग्रामीण	2002	31	26
		बीरोंखाल	ग्रामीण	2002	64	35
		यमकेश्वर	ग्रामीण	2002	51	36
		द्वारीखाल	ग्रामीण	2002	52	47
		जयहरिखाल	ग्रामीण	2002	57	13
		पावौं	ग्रामीण	2002	46	21
		रिखनीखाल	ग्रामीण	2002	41	36
		थेलीसैण	ग्रामीण	2002	70	18
		नैनीडांडा	ग्रामीण	2002	45	44
5	उधमसिंहनगर	खटीमा	जनजातीय	1982	159	0
		सितारगंज	जनजातीय	1986	198	14
		बाजपुर	ग्रामीण	1986	142	9
		गदरपुर	ग्रामीण	1986	155	20
		रुद्रपुर	ग्रामीण	1989	151	27
		जसपुर	ग्रामीण	2002	115	18
		काशीपुर	ग्रामीण	2002	112	15
		काशीपुर शहर	शहरी	2003	75	0
6	नैनीताल	भीमताल	ग्रामीण	1991	54	18
		रामगढ़	ग्रामीण	1983	127	2
		श्रामनगर	ग्रामीण	1991	93	19
		धारी	ग्रामीण	2002	29	0
		ओखलकाण्डा	ग्रामीण	2002	44	3
		कोटाबाग	ग्रामीण	2002	48	21
		बेतालधाट	ग्रामीण	2002	45	21
		हल्द्वानी	ग्रामीण	2002	134	28
		हल्द्वानी शहर	शहरी	2003	83	0

7	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	ग्रामीण	1989	80	27
		बेरीनाग	ग्रामीण	1991	74	17
		धारचुला	जनजातीय	1979	62	11
		गंगोलीहाट	ग्रामीण	1984	86	63
		कनालीछीना	ग्रामीण	1991	76	23
		मुनस्यारी	ग्रामीण	1984	73	27
		डीडीहाट	ग्रामीण	2002	43	33
		मुनाकोट	ग्रामीण	2002	60	21
8	टिहरी गढ़वाल	किर्तिनगर	ग्रामीण	1979	60	8
		थत्यूड़	जनजातीय	1983	66	14
		जाखनीधार	ग्रामीण	1984	88	59
		हिण्डोखाल	ग्रामीण	1989	80	54
		चम्बा	ग्रामीण	1991	83	69
		भिलंगना	ग्रामीण	2002	116	63
		थौलधार	ग्रामीण	2002	61	45
		प्रतापनगर	ग्रामीण	2002	72	82
		नरेन्द्रनगर	ग्रामीण	2002	74	86
9	रुद्रप्रयाग	जखोली	ग्रामीण	1991	96	40
		अगस्त्यमुनि	ग्रामीण	2002	121	11
		ऊखीमठ	ग्रामीण	2002	46	17
10	उत्तरकाशी	मोरी	ग्रामीण	1986	46	0
		पुरोला	ग्रामीण	1983	60	15
		नौगांव	ग्रामीण	1986	74	58
		चिन्यालीसौड़	ग्रामीण	1991	53	19
		डुण्डा	ग्रामीण	1984	100	25
		भटवाड़ी	ग्रामीण	1989	63	36
11	अल्मोड़ा	भैसियाछाना	ग्रामीण	1994	35	30
		सल्ट	ग्रामीण	1984	81	42
		ताकुला	ग्रामीण	1982	52	42

		द्वारहाट	ग्रामीण	1989	102	51
		चौखुटिया	ग्रामीण	1996	59	36
		ताड़ीखेत	ग्रामीण	1991	107	54
		हवालबाग	ग्रामीण	1996	70	58
		धौलादेवी	ग्रामीण	1996	70	50
		भिकियासैण	ग्रामीण	2003	52	30
		लमगडा	ग्रामीण	2002	53	63
		स्याल्दे	ग्रामीण	2002	59	32
12	बागेश्वर	गरुड़	ग्रामीण	1994	93	52
		बागेश्वर	ग्रामीण	1983	158	55
		कमकोट	ग्रामीण	1991	136	46
13	चम्पावत	चम्पावत	ग्रामीण	2002	122	77
		लोहाधाट	ग्रामीण	2002	62	37
		बाराकोट	ग्रामीण	2002	40	35
		पाटी	ग्रामीण	2002	73	49
		महायोग			9664	2676

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत
17 मैनुअलों का संग्रह

मैनुअल संख्या – 10

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथाउपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड सरकार

अध्याय—दस

**प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में
यथाउपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है**

निदेशालय स्तर पर सृजित पद

क्र0सं0	पद का नाम	स्वीकृत पद	वेतनमान	स्वीकृति शासनदेश की संख्या एवं दिनांक
1	निदेशक	01	आई.ए.एस./पी.सी.एस. अपने संवर्ग के अनुसार	शासनादेश सं0 501 /आई.सी.डी.एस.— 117 /2001 दिनांक 24 नवम्बर 2001
2	कार्यक्रम अधिकारी	01	8000—275—13500	
3	स्टेनो	01	4000—100—6000	
4	लेखाकार	01	5000—150—8000	
5	लेखा लिपिक	01	4000—150—6000	
6	कनिष्ठ लिपिक	01	3050—75—3950—80—4590	
7	चालक	01	3050—75—3950—80—4590	
8	अनुसेवक	01	2550—3200	

जनपद/परियोजना स्तर पर सृजित पद

क्र0सं0	पद का नाम	स्वीकृत पद	वेतनमान
1	कार्यक्रम अधिकारी	10	8000—275—13500
2	बाल विकास परियोजना अधिकारी	99	5000—150—8000
3	मुख्य सेविका	386	4500—125—7000
4	प्रशासनिक अधिकारी	08	4500—125—7000
5	सांख्यकीय सहायक	52	5000—150—8000
6	संगणक	07	4000—100—6000
7	मुख्य सहायक	30	4500—125—7000
8	प्रवर सहायक	32	4000—100—6000
9	कनिष्ठ सहायक	109	3050—75—3950—80—4590
10	चालक (मृत संवर्ग)	23	3050—75—3950—80—4590
11	चपरासी	109	2550—3200
12	आंगबाड़ी कार्यकर्ता	7792	2500
13	आंगनबाड़ी सहायिका	7792	1500

जनपद स्तर पर प्रशासनिक संरचना

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान	मासिक औसत वेतन (₹०)
01	जिला कार्यक्रम अधिकारी	8000—275—13500	19030.00
02	सी०डी०पी०ओ०	5000—150—8000	13415.00
03	मुख्य सेविका	4500—125—7000	12438.00
04	सांख्यकीय सहायक	5000—150—8000	—
05	वरिष्ठ सहायक	4500—125—7000	12438.00
06	वरिष्ठ लिपिक	4000—100—6000	8800.00
07	कनिष्ठ लिपिक	3050—75—3950—80—4590	7819.00
08	चालक	3050—75—3950—80—4590	7659.00
09	अनुसेवक	2550—55—2660—60—3200	6299.00

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत
17 मैनुअलों का संग्रह

मैनुअल संख्या – 11

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संविताणों पर
रिपोर्ट की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक
अभिकरण को आवंटित बजट

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड सरकार

अध्याय—ग्यारह

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संविताणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

- योजनाओं का विवरण अध्याय एक मे दिया गया है।
- बजट का विवरण अन्त में दिया गया है।
- आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत बजट निदेशक को प्राप्त होता है जो जनपदीय अधिकारियों/आहरण वितरण अधिकारियों को जारी करते हैं।
- उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास सोसाइटी के माध्यम से इन्दिरा महिला समेकित विकास योजना का वित्तीय कार्य सम्पादित हो रहा है।

महिला सशक्तिकरण एंव बाल विकास विभाग
माह मार्च 2007 की वित्तीय प्रगति (आई0सी0डी0एस0 जनरल)

(₹० लाख में)

क्र. स.	अनुदान-15	कुलयोग			जिला सेक्टर			राज्य सेक्टर			केन्द्र पोषित			बाह्य सहायतित		
		बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय	बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय	बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय	बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय	बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय
1	0101— समन्वित बाल विकास योजना (100%के0स0)	2537.50	2537.50	2268.17							2537.50	2537.50	2268.17			
2	0103— निदशालय, आई०सी०डी०एस० स्थापना	11.85	11.85	10.90							11.85	11.85	10.90			
3	0104— समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था (100%के0स0)	69.25	69.25	52.85							69.25	69.25	52.85			
4	0106— विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना	5.00	4.88	1.26				5.00	4.88	1.26						
5	108— अंगनबाड़ी कार्यक्रियों/ सहायिकाओं को प्रशिक्षण के दौरान राशन की व्यवस्था (100%के0स0)															
	42— अन्य व्यय	150.00	150.00	93.52							150.00	150.00	93.52			
6	0111— रथयसिद्धा योजना (100%के0स0)															
	42— अन्य व्यय	50.00	50.00	49.96							50.00	50.00	49.96			
7	0115— रथशपित परियोजना का संचालन															
	42— अन्य व्यय	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	0.00			
8	0117— इदिरा महिला समेकित विकास योजना															
	20— सहायक अनुदान/अशंदान/राज सहायता	500.00	500.00	500.00				500.00	500.00	500..00						
	योग	3323.60	3323.48	2976.66				505.00	504.88	501.26	2818.60	2818.60	2475.40			

महिला सशक्तिकरण एंव बाल विकास विभाग

क्र. सं	अनुदान'16	कुलयोग			जिला सेक्टर			राज्य सेक्टर			केन्द्र पोषित			बाह्य सहायतित			
		कल्याण सेवायें प्राविधान	बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय	बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय	बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय	बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय	बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय
	पिछला योग	3323.60	3323.48	2976.66				505.00	504.88	501.26	2818.60	2818.60	2475.40				
9	0118— आइड्सी0डीएस0 योजना में अभिनव नवाचार																
	20— सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता	0.01	0.00	0.00							0.01	0.00	0.00				
10	0119— प्रादेशिक बाल विकास बोर्ड																
	42— अन्य व्यय	13.20	13.20	13.04				13.20	13.20	13.04							
11	0121— एन0पी0ए0जी0 योजना का संचालन																
	42— अन्य व्यय	106.95	0.00	0.00							106.95	0.00	0.00				
12	0122— बाल कल्याण निधि																
	42— अन्य व्यय	100.00	100.00	100.00				100.00	100.00	100.00							
13	06— बाल कल्याण की विविध योजनायें 0602— बाल दिवस समारोह																
	42— अन्य व्यय	7.00	7.00	4.44				7.00	7.00	4.44							
14	09— राज्य तीलू रौतेली पुरस्कार																
	42— अन्य व्यय	1.50	1.50	1.50				1.50	1.50	1.50							
15	0310— स्व0 श्री गबर सिंह की स्मृति में बीरता पुरस्कार																
	20— सहायता अनुदान / अंशदान	2.00	0.00	0.00				2.00	0.00	0.00							
16	0303— पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत दिया जाने वाला पोषाहार, पोषाहार हेतु ईधन, कच्चा माल आदि की व्यवस्था																
	07— मानेदय	1887.84	1887.84	1830.39				1887.84	1887.84	1830.39							
	31— सामग्री और सम्पूर्ति	1936.00	1936.00	1909.66				1936.00	1936.00	1909.66							
17	103 महिला कल्याण																
	10— राज्य महिला आयो की स्थापना	65.00	65.00	45.89				65.01	65.01	45.89							
	4235— सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिचय																
18	0104— आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण																
	24— घृहत निर्माण कार्य	450.00	450.00	0.00				450.00	450.00	0.00							
19	0105— महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास भवनों का निर्माण																
	24— घृहत निर्माण कार्य	100.00	100.00	0.00				100.00	100.00	0.00							
	योग(अनुदान संख्या 15)	7993.11	7884.02	6881.58				5067.55	5065.42	4406.18	2925.56	2818.60	2475.40				

महिला सशक्तिकरण एंव बाल विकास विभाग

अनुदान संख्या – 30 कल्याण सेवायें	कुलयोग			जिला सेक्टर			राज्य सेक्टर			केन्द्र पोषित			
	कल्याण सेवायें	बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय	बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय	बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय	बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय
02— अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेट लान													
0202— परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास पोषाहार													
07— मानदेय	162.00	162.00	85.26					162.00	162.00	85.26			
31— सामग्री एंव सम्पूर्ति	383.42	383.42	360.58					383.42	383.42	360.58			
0203— समन्वित बाल विकास योजना	129.60	129.60	63.44								129.60	129.60	63.44
योग अनुदान संख्या 30	675.02	675.02	509.28					545.42	545.42	445.84	129.60	129.60	63.44
कुल योग	8668.13	8559.04	7390.86					5612.97	5610.84	4852.02	3055.16	2948.20	2538.84

अनुदान संख्या – 31 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	कुलयोग			जिला सेक्टर			राज्य सेक्टर			केन्द्र पोषित			
	कल्याण सेवायें	बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय	बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय	बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय	बजट प्राविधान	जारी स्वीकृति	व्यय
पिछला योग	8668.13	8559.04	7390.86					5612.97	5610.84	4852.02	3055.16	2948.20	2538.84
0102— पुश्टाहार कायक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार (राज्य योजना)													
07— मानदेय	54.00	54.00	46.69					54.00	54.00	46.69			
31— सामग्री और सम्पूर्ति	243.25	243.25	239.76					243.25	243.25	239.76			
04— समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार	75.30	75.38	67.81								75.30	75.38	67.81
योग (अनुदान संख्या 31)	372.55	372.53	354.26					297.25	297.25	286.45	75.30	75.28	67.81
महायोग	9040.68	8931.57	7745.12					5910.22	5908.09	5138.47	3130.46	3023.48	2606.65

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत
17 मैनुअलों का संग्रह

मैनुअल संख्या – 12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है

**महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड सरकार**

अध्याय—बारह

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है

विभाग से सम्बन्धित नहीं है

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत
17 मैनुअलों का संग्रह

मैनुअल संख्या – 13

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं
की विशिष्टियां

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड सरकार

अध्याय—तेरह

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां
विभाग से सम्बन्धित नहीं है

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत
17 मैनुअलों का संग्रह

मैनुअल संख्या – 14

किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको
उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड सरकार

अध्याय—चौदह

किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में और, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों

वेबसाईट का निर्माण किया गया है जिससे विभागीय सूचनायें जनसामान्य हेतु उपलब्ध हैं

<http://gov.ua.nic.in/weed>

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत 17 मैनुअलों का संग्रह

मैनुअल संख्या – 15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनके अंतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड सरकार

अध्याय—पन्द्रह

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनके अंतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं

- विभाग के समस्त कार्यालयों में कार्यालय—समय के अन्तर्गत अभिलेखों के परीक्षण/अध्ययन हेतु पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है
- विभागीय वेबसाईट का निर्माण किया गया है जिसमें विभागीय सूचनायें जनसामान्य हेतु उपलब्ध हैं

<http://gov.ua.nic.in/weed>

अध्याय—सौलह

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां

प्रशासकीय स्तर	लोक सूचना अधिकारी			विभागीय अपील अधिकारी		
	पदनाम	कार्यालय का पूर्ण पता	टेली.नं./ई.-मेल	पदनाम	कार्यालय का पूर्ण पता	टेली.नं./ई.-मेल
सचिवालय/ शासन स्तर	अपर सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड	कार्यालय, अपर सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड शासन, 4 सुभाष मार्ग, देहरादून	0135— 2714104, 2714389(फै0)	सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड	कार्यालय, सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड शासन, 4 सुभाष मार्ग, देहरादून	0135— 2714104, 2714389(फै0)
निदेशालय/ विभागाध्यक्ष (मुख्यालय)	कार्यक्रम अधिकारी (मुख्यालय)	निदेशालय, आई०सी०डी०एस०, 25—शास्त्रीनगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून	0135— 2675260 2675270(फै0)	निदेशक आई.सी.डी. एस.	निदेशालय, आई०सी०डी०ए स०२५—शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून	0135— 2675260 2675270(फै0)
मण्डल स्तर	मण्डल स्तर पर विभाग के अन्तर्गत कोई कार्यालय सृजित नहीं है।					
(अ) जिला कार्यालय 1.	जिला कार्यक्रम अधिकारी	कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, मिलन विहार, जि. एम.एस. रोड़ देहरादून	0135—2521242	मुख्य विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून	0135—2712569
2.	जिला कार्यक्रम अधिकारी	कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, रोशानाबाद, विकास भवन, हरिद्वार	01334—239045	मुख्य विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार	01334—239097
3.	जिला कार्यक्रम अधिकारी	कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, विकास भवन, पौड़ी	951368—223887	मुख्य विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल	01368—221793 221793 (फै.)
4.	जिला कार्यक्रम अधिकारी	कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, विकास भवन, उत्तरकाशी	951374—222906	मुख्य विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी	01374—222724 222267 (फै.)
5.	जिला कार्यक्रम अधिकारी	कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल	951378—227185	मुख्य विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल	01378—232603 232603 (फै.)

6.	जिला कार्यक्रम अधिकारी	कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, गोपेश्वर, चमोली	951372–252436	मुख्य विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी, चमोली	01372–253419
7.	जिला कार्यक्रम अधिकारी	कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, गुलाबराय, रुद्रप्रयाग	951364–233606	मुख्य विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग	01364–233189 233711(फै.)
8.	जिला कार्यक्रम अधिकारी	कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, विकास भवन, रुद्रपुर, उधमसिंहनगर	955944–244956	मुख्य विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी, उधमसिंहनगर	05944–241472 241472(फै.)
9.	जिला कार्यक्रम अधिकारी	कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, भीमताल, विकास भवन, नैनीताल	955942–248322	मुख्य विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल	05942–236011
10.	जिला कार्यक्रम अधिकारी	कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, पिथौरागढ़	955964–227890	मुख्य विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़	05964–225404
11.	जिला कार्यक्रम अधिकारी	कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, विकास भवन, अल्मोड़ा	955962–235796	मुख्य विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा	05962–230027 231264 (फै.)
12.	जिला कार्यक्रम अधिकारी	कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बागेश्वर	955963–221515	मुख्य विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर	05963–220858 220571 (फै.)
13.	जिला कार्यक्रम अधिकारी	कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, चम्पावत	955965–230946	मुख्य विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत	05965–230515 230345 (फै.)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत

17 मैनुअलों का संग्रह

मैनुअल संख्या – 16

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड सरकार

क्र० सं०	सहायक लोक सूचना अधिकारी		
	पदनाम	कार्यालय का पूर्ण पता	टेली.नं./ई.-मेल
शासन स्तर			
1.	अनुसंचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड शासन	अनुसंचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड शासन, 4, सुभाष मार्ग, देहरादून	0135-2714104
निदेशालय स्तर			
उपजिला स्तर			
1.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, मोरी	बाल विकास परियोजना अधिकारी, मोरी	01373-234485
2.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, चिन्यालीसौँड़	बाल विकास परियोजना अधिकारी, चिन्यालीसौँड़	01374-237350
3.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, पुरोला	बाल विकास परियोजना अधिकारी, पुरोला	01373-223935
4.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, भटवाड़ी	बाल विकास परियोजना अधिकारी, भटवाड़ी	01374-224659
5.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, नौगांव	बाल विकास परियोजना अधिकारी, नौगांव	013752-245032
6.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, डुण्डा	बाल विकास परियोजना अधिकारी, डुण्डा	01374-225870
7.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, जोशीमठ	बाल विकास परियोजना अधिकारी, जोशीमठ	01389-222772
8.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, थराली	बाल विकास परियोजना अधिकारी, थराली	01363-271418
9.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, दशोली	बाल विकास परियोजना अधिकारी, दशोली	01372-252436
10.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, नारायाणबगड़	बाल विकास परियोजना अधिकारी, नारायाणबगड़	
11.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, पोखरा	बाल विकास परियोजना अधिकारी, पोखरा	
12.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, घाट	बाल विकास परियोजना अधिकारी, घाट	
13.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, कर्णप्रयाग	बाल विकास परियोजना अधिकारी, कर्णप्रयाग	01363-244801
14.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, गैरसैण	बाल विकास परियोजना अधिकारी, गैरसैण	01363-268259
15.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, देवाल	बाल विकास परियोजना अधिकारी, देवाल	01363-225612

16.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, कीर्तिनगर	बाल विकास परियोजना अधिकारी, कीर्तिनगर	01370–230355
17.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, थत्यूड़	बाल विकास परियोजना अधिकारी, थत्यूड़	
18.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, जाखणीधार	बाल विकास परियोजना अधिकारी, जाखणीधार	
19.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, हिण्डोलखाल	बाल विकास परियोजना अधिकारी, हिण्डोलखाल	01378–225612
20.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, चम्बा	बाल विकास परियोजना अधिकारी, चम्बा	01376–256154
21.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, नरेन्द्रनगर	बाल विकास परियोजना अधिकारी, नरेन्द्रनगर	01378–227628
22.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, प्रतापनगर	बाल विकास परियोजना अधिकारी, प्रतापनगर	01379–262425
23.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, थैलधार	बाल विकास परियोजना अधिकारी, थैलधार	01376–288121
24.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, भिलंगना	बाल विकास परियोजना अधिकारी, भिलंगना	01379–258522
25.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, गरुड़	बाल विकास परियोजना अधिकारी, गरुड़	05963–250403
26.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, कपकोट	बाल विकास परियोजना अधिकारी, कपकोट	
27.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, बागेश्वर	बाल विकास परियोजना अधिकारी, बागेश्वर	05963–221515
28.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, जखोली	बाल विकास परियोजना अधिकारी, जखोली	
29.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, अगस्त्यमुनि	बाल विकास परियोजना अधिकारी, अगस्त्यमुनि	01364–233606
30.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, ऊखीमठ	बाल विकास परियोजना अधिकारी, ऊखीमठ	01364–264373
31.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, चक्राता	बाल विकास परियोजना अधिकारी, चक्राता	01360–272327
32.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, कालसी	बाल विकास परियोजना अधिकारी, कालसी	

33.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, विकासनगर	बाल विकास परियोजना अधिकारी, विकासनगर	01360–253047
34.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, शहर देहरादून	बाल विकास परियोजना अधिकारी, शहर देहरादून	0135–2714946
35.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, सहसपुर	बाल विकास परियोजना अधिकारी, सहसपुर	0135–2697928
36.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, डोईवाला	बाल विकास परियोजना अधिकारी, डोईवाला	0135–2695203
37.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, रायपुर	बाल विकास परियोजना अधिकारी, रायपुर	0135–2788750
38.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, बहादराबाद	बाल विकास परियोजना अधिकारी, बहादराबाद	01334–260887
39.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, भगवानपुर	बाल विकास परियोजना अधिकारी, भगवानपुर	
40.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, रुड़की	बाल विकास परियोजना अधिकारी, रुड़की	01332–266554
41.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, लक्सर	बाल विकास परियोजना अधिकारी, लक्सर	
42.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, खानपुर	बाल विकास परियोजना अधिकारी, खानपुर	
43.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, नारसन	बाल विकास परियोजना अधिकारी, नारसन	
44.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, शहर हरिद्वार	बाल विकास परियोजना अधिकारी, शहर हरिद्वार	01334–250614
45.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, पौड़ी	बाल विकास परियोजना अधिकारी, पौड़ी	01368–223887
46.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, कल्जीखाल	बाल विकास परियोजना अधिकारी, कल्जीखाल	
47.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, कोट	बाल विकास परियोजना अधिकारी, कोट	01368–229193
48.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, खिर्सू	बाल विकास परियोजना अधिकारी, खिर्सू	01346–228685
49.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, पावौ	बाल विकास परियोजना अधिकारी, पावौ	
50.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, दुगड़ा	बाल विकास परियोजना अधिकारी, दुगड़ा	01382–251420

51.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, एकेश्वर	बाल विकास परियोजना अधिकारी, एकेश्वर	01386–265400
52.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, द्वारीखाल	बाल विकास परियोजना अधिकारी, द्वारीखाल	01386–276062
53.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, यमकेश्वर	बाल विकास परियोजना अधिकारी, यमकेश्वर	01382–256271
54.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, बीरोखाल	बाल विकास परियोजना अधिकारी, बीरोखाल	
55.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, रिखणीखाल	बाल विकास परियोजना अधिकारी, रिखणीखाल	
56.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, जयहरिखाल	बाल विकास परियोजना अधिकारी, जयहरिखाल	01386–262454
57.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, नैनीडांडा	बाल विकास परियोजना अधिकारी, नैनीडांडा	
58.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, पोखड़ा	बाल विकास परियोजना अधिकारी, पोखड़ा	01386–265770
59.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, थैलीसैण	बाल विकास परियोजना अधिकारी, थैलीसैण	01348–225840
60.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, खटीमा	बाल विकास परियोजना अधिकारी, खटीमा	05943–253110
61.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, सितारगंज	बाल विकास परियोजना अधिकारी, सितारगंज	05948–253445
62.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, बाजपुर	बाल विकास परियोजना अधिकारी, बाजपुर	05949–282949
63.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, गदरपुर	बाल विकास परियोजना अधिकारी, गदरपुर	05948–271687
64.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, रुद्रपुर	बाल विकास परियोजना अधिकारी, रुद्रपुर	05944–244956 / 245929
65.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, जसपुर	बाल विकास परियोजना अधिकारी, जसपुर	9412969226
66.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, काशीपुर शहर	बाल विकास परियोजना अधिकारी, काशीपुर शहर	05947–260662

67.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, काशीपुर ग्रामीण	बाल विकास परियोजना अधिकारी, काशीपुर ग्रामीण	955947–262857
68.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, धारचूला	बाल विकास परियोजना अधिकारी, धारचूला	05967–222116
69.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुनाकोट	बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुनाकोट	05964–266640
70.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुनस्यारी	बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुनस्यारी	05961–222172
71.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, पिथौरागढ़	बाल विकास परियोजना अधिकारी, पिथौरागढ़	05964–226728
72.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, बेरीनाग	बाल विकास परियोजना अधिकारी, बेरीनाग	
73.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, डीडीहाट	बाल विकास परियोजना अधिकारी, डीडीहाट	05964–232812
74.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, गंगोलीहाट	बाल विकास परियोजना अधिकारी, गंगोलीहाट	
75.	बाल विका परियोजना अधिकारी, कनालीछीना	बाल विका परियोजना अधिकारी, कनालीछीना	
76.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, ताकुला	बाल विकास परियोजना अधिकारी, ताकुला	05962–253020
77.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, सल्ट	बाल विकास परियोजना अधिकारी, सल्ट	05966–238845
78.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, ताड़िखेत	बाल विकास परियोजना अधिकारी, ताड़िखेत	05966–264410
89.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, द्वाराहाट	बाल विकास परियोजना अधिकारी, द्वाराहाट	05966–244892
80.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, भैंसियाछाना	बाल विकास परियोजना अधिकारी, भैंसियाछाना	05962–261233
81.	बाल विकासपरियोजना अधिकारी, धौलादेवी	बाल विकासपरियोजना अधिकारी, धौलादेवी	05962–286479
82.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, हवालबाग	बाल विकास परियोजना अधिकारी, हवालबाग	05962–241245
83.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, चौखुटिया	बाल विकास परियोजना अधिकारी, चौखुटिया	05966–246681
84.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, लमगड़ा	बाल विकास परियोजना अधिकारी, लमगड़ा	05962–256265
85.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, स्याल्दे	बाल विकास परियोजना अधिकारी, स्याल्दे	05966–247452

86.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, भिकियासैण	बाल विकास परियोजना अधिकारी, भिकियासैण	05966–242133
87.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, चम्पावत	बाल विकास परियोजना अधिकारी, चम्पावत	05965–230942
88.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, लोहाघाट	बाल विकास परियोजना अधिकारी, लोहाघाट	05965–234891
89.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, पाटी	बाल विकास परियोजना अधिकारी, पाटी	05965–240362
90.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, बाराकोट	बाल विकास परियोजना अधिकारी, बाराकोट	05965–337106
91.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, रामगढ़	बाल विकास परियोजना अधिकारी, रामगढ़	
92.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, रामनगर	बाल विकास परियोजना अधिकारी, रामनगर	
93.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, भीमताल	बाल विकास परियोजना अधिकारी, भीमताल	
94.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, हल्द्वानी शहर	बाल विकास परियोजना अधिकारी, हल्द्वानी शहर	
95.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, हल्द्वानी ग्रामीण	बाल विकास परियोजना अधिकारी, हल्द्वानी ग्रामीण	05946–264081
96.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, ओखलकाण्डा	बाल विकास परियोजना अधिकारी, ओखलकाण्डा	
97.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, बेतालघाट	बाल विकास परियोजना अधिकारी, बेतालघाट	05942–245663
98.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, धारी	बाल विकास परियोजना अधिकारी, धारी	
99.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, कोटाबाग	बाल विकास परियोजना अधिकारी, कोटाबाग	

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005



अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत

17 मैनुअलों का संग्रह

मैनुअल संख्या – 17

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड सरकार

अध्याय—सत्रह

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये

विभाग द्वारा जारी समस्त महत्वपूर्ण शासनदेश विभाग द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन पुस्तिका में उपलब्ध हैं। समय—समय पर जारी अन्य समस्त शासनादेश (नवीनतम), निदेशालय में तथा समस्त जिला कार्यक्रम कार्यालयों में उपलब्ध हैं। इन शासनादेशों की प्रतियों उक्त कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती हैं।